सामाजिक-आर्थिक बदलाव का विधान
हमारा संविधान

संविधान आधारित दृष्टिकोण

1) स्वतंत्रता के बाद के भारतीय सन्दर्भ में, जब हमनें विभिन्न किस्म के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक उतार चढ़ाव देखे और उनका सामना किया है; उनका सन्दर्भ लेते हुए यह समझना जरूरी है कि बुनियादी बदलाव के लिए हम अपने संविधान में दर्ज मूल्यों को जीवन का आधार बनाएँ।

2) हमारी विकास से लेकर बदलाव तक की सोच कहीं बाहर से आयातित सी लगती है। अक्सर ठोस पहल के बाद भी वह बदलाव नहीं आता, जिसकी हम अपेक्षा कर रहे होते हैं। कारण; शायद इसलिए क्योंकि वह दृष्टिकोण किसी और मिट्टी, किसी और पर्यावरण में रचा गया है।

3) संविधान समाज को ग्राहता और राज्य को दाता नहीं बनाता। वह भूमिकाएं और कर्तव्य भी तय करता है; जबकि आयातित विचार ने केवल अधिकार को बदलाव का आधार बनाया है; इस सोच को संवैधानिक नजरिया ही बदल सकता है।

4) लोकतंत्र में केवल यह नहीं देखा जाना चाहिए कि ''मुझे क्या हित लाभ हो रहा है; यह सवाल भी पूछा जाना जरूरी है कि हित लाभ के मूल्य और सिद्धांत क्या होना चाहिए? समाज और राज्य की भूमिका और कार्यप्रणाली पर नज़र रखी जाना चाहिए। इन्हीं भूमिकाओं से बदलाव का रास्ता बनेगा।

5) राजनीति और अर्थनीति से समाजनीति का संपर्क टूट गया है; जबकि हमारा संविधान तीनों को एक सूत्र में एक नज़रिए से देखने की समझ देता है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और परिचय – संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकार करने से पहले 2 साल, 11 महीने और 18 दिनों में से जनता के साथ 166 दिन बैठकें कीं। संविधान सभा में देश को व्यापक प्रतिनिधित्व देने के लिए कुल 299 सदस्य थे। वास्तव में 389 सदस्य होने चाहिए थे, लेकिन विभाजन के कारण यह संख्या 299 हो गयी। अंत में 284 सदस्यों ने संविधान की दो प्रतियों (हिन्दी और अंग्रेजी) पर हस्ताक्षर किये। 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया। यह दिन इसलिए चुना गया क्योंकि यह वर्ष 1930 में पूर्ण स्वराज की घोषणा की तारीख थी।

संविधान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है इसकी उद्देशिका। जिसकी शुरुआत होती है 'हम, भारत के लोग' से। संविधान किसी समूह या सरकार या व्यवस्था का संविधान नहीं है। यह भारत के लोगों के द्वारा, भारत के लोगों के लिए बनाया गया संविधान है।

जाति के जाल से मुक्ति का आह्वान है
नैतिकता का आदान है
याद रहे, सिद्ध हमारा संविधान है,
रोटी से न्याय तक
संसद से आय तक
जिम्मेदारी से अधिकार तक
नागरिकता का पाठ हमारा संविधान है,

उद्देशिका

हम भारत के लोग >> भारत के संविधान का निर्माण और अधिनियमन भारत के लोगों ने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से किया है, न कि इसे किसी राजा या बाहरी व्यक्तियों ने उन्हें दिया है।

समाजवादी >> समाज में सम्पदा सामूहिक रूप से पैदा होती है और समाज में उसका बंटवारा समानता के साथ होना चाहिए। सरकार जमीन और उद्योग-धंधों की हकदारी से जुड़े कायदे-कानून इस तरह बनाए कि सामाजिक-आर्थिक असमानताएं कम हों।

प्रभुत्व-संपन्न >> लोगों को अपने से जुड़े हर मामले में फैसला करने का सर्वोच्च अधिकार है। कोई भी बाहरी शक्ति भारत की सरकार को आदेश नहीं दे सकती है।

पंथ-निरपेक्ष >> नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की पूरी स्वतंत्रता है। लेकिन कोई धर्म आधिकारिक धर्म नहीं है। सरकार सभी धार्मिक मान्यताओं और आचरणों को समान सम्मान देती है।

गणराज्य >> शासन का प्रमुख लोगों द्वारा चुना हुआ व्यक्ति होगा, न कि किसी वंश या राज-खानदान का।

समता >> कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं। पहले से चली आ रही सामाजिक असमानताओं को समाप्त करना होगा। सरकार हर नागरिक को समान अवसर उपलब्ध कराने की व्यवस्था करे।

''हम, भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण
प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी,
पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक
गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त
नागरिकों को
सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय,
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म
और उपासना की
स्वतंत्रता,
प्रतिष्ठा और अवसर की समता
प्राप्त कराने के लिए,
तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और
राष्ट्र की एकता और अखंडता
सुनिश्चित करने वाली
बंधुता बढ़ाने के लिए
दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में
आज तारीख 26 नवम्बर, 1949 ई.
को एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत,
अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।''

लोकतंत्रात्मक >> सरकार का एक ऐसा स्वरुप जिसमें लोगों को समान राजनैतिक अधिकार प्राप्त रहते हैं, लोग अपने शासन का चुनाव करते हैं और उसे जवाबदेय बनाते हैं। यह सरकार कुछ बुनियादी नियमों के अनुरूप चलती है।

न्याय >> नागरिकों के साथ उनकी जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है।

स्वतंत्रता >> नागरिक कैसे सोचें, किस तरह अपने विचारों को अभिव्यक्त करें और अपने विचारों पर किस तरह अमल करें; इस पर कोई अनुचित पाबंदी नहीं है।

बंधुता >> हम सभी ऐसा आचरण करें जैसे कि हम एक परिवार के सदस्य हों। कोई भी नागरिक किसी दूसरे नागरिक को अपने से कमतर न माने।

स्रोत-लोकतांत्रिक राजनीति (कक्षा-नौ), पृष्ठ 55, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी), नवंबर 2010;

मान है, सभ्यता का अभिमान है
दमन के विरुद्ध संघर्ष का मैदान है
याद रहे, उसूलों का आधार संविधान है,

मूल अधिकार

मूल अधिकारों का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति को गरिमामय जीवन जीने के लिए जरूरी संरक्षण और अधिकार मिलें; यह राज्य की जिम्मेदारी है कि वह लोगों के मूल अधिकारों को सुनिश्चित करेगा। लोगों के मूल अधिकारों को उपलब्ध करवाने के लिए राज्य बाध्य है।

यदि किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन होता है, तो वह न्यायालय की शरण ले सकता है। जहाँ न्यायपालिका सरकार को आदेशित कर सकती है कि वह नागिरक के मूल अधिकारों का संरक्षण करे।

मूल अधिकारों में मुख्यतः शामिल हैं -

1. अनुच्छेद 14 – क़ानून के सामने सभी समान और बराबर हैं।
2. अनुच्छेद 15 – धर्म, जाति, लिंग या किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं।
3. अनुच्छेद 16 – रोज़गार और काम में समान अवसर मिलना।
4. अनुच्छेद 17 – अस्पृश्यता (हर तरह की छुआछूत) का अंत।
5. अनुच्छेद 18 – राजा, महाराजा, श्रीमंत सरीखी उपाधियों की समाप्ति।
6. अनुच्छेद 19 – सबको अपनी बात कहने, अहिंसक समूह-संगठन बनाने, देश के भीतर आने-जाने, कहीं रहने और काम-रोज़गार की स्वतंत्रता है।
7. अनुच्छेद 20 – अपराधों के लिए दोषसिद्धि के सम्बन्ध में।
8. अनुच्छेद 21 और 21-क – प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण यानी जीवन जीने का अधिकार। अब इसमें ही शिक्षा का अधिकार भी शामिल है।
9. अनुच्छेद 22 – कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण – गिरफ्तारी के कारण तत्काल बताए जाना, वकील से बात करने का अधिकार, 24 घंटे में निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाना।
10. अनुच्छेद 23 – मानवों का व्यापार और उनसे जबरिया श्रम-बंधुआ मजदूरी नहीं।
11. अनुच्छेद 24 – कारखानों आदि में बच्चों द्वारा मजदूरी नहीं – 14 साल से कम उम्र के बच्चों को कारखाने, खान या किसी संकट वाले स्थान पर काम में नहीं लगाया जाएगा यानी बाल श्रम नहीं।
12. अनुच्छेद 25 – अंत:करण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, सभी व्यक्तियों को ध्यान-प्रार्थना करने और अपने धर्म को मानने और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता है।
13. अनुच्छेद 26 – धार्मिक संस्थाओं की स्थापना, उनके कार्यक्रमों और कार्यों का प्रबंध करने का अधिकार।
14. अनुच्छेद 27 – किसी खास धर्म के प्रचार या काम या विस्तार के लिए किसी व्यक्ति को कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है।

15. अनुच्छेद 28 – पूरी तरह से सरकार के धन से चलने वाली शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। किसी न्यास की शिक्षा संस्था में ऐसा हो सकता है। राज्य से मान्यता प्राप्त या सहायता पाने वाली शिक्षा संस्था में धार्मिक उपासना या व्यवहार में शामिल होने के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जाएगा।

16. अनुच्छेद 29 – अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण – भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाये रखने का अधिकार।

17. अनुच्छेद 30 – शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार।

18. अनुच्छेद 32 – मूल अधिकारों में दिए गए अधिकारों को लागू करने का अधिकार – निर्धारित प्रक्रिया से उच्चतम न्यायालय को कार्यवाही करने का अधिकार है। इन मामलों में उच्चतम न्यायालय आदेश दे सकता हैं।

सूत्र न्याय का लिखा है जहाँ
राज्य भी बंधा है सूत्र से
आधार व्यवहार का हमारा संविधान है,

राज्य की नीति के मुख्य तत्व

इस भाग में भी नागरिकों के कुछ अधिकारों का उल्लेख किया गया है। इन तत्वों के आधार पर सरकार क़ानून बना सकती है। इसके तहत समाहित प्रावधान या अधिकार को लेकर हम न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। यानी सरकार ये अधिकार देने के लिए बाध्य नहीं है; लेकिन संविधान कहता है कि देश की शासन व्यवस्था के लिये में ये अधिकार/तत्व मूलभूत हैं और कोई भी क़ानून बनाते समय इन्हें केन्द्र में रखना सरकार का कर्तव्य होगा।

1. लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था – इसमें सामाजिक, आर्थिक राजनैतिक न्याय शामिल है। राज्य आय की असमानताओं को कम करने और हर स्तर पर प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानता को समाप्त करने का प्रयास करेगा। (अनुच्छेद 38)

2. राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व –

   क. पुरुष और स्त्री, यानी सबको काम के समान–पूरे अवसर।

   ख. समाज के हित के हिसाब से भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण।

   ग. आर्थिक व्यवस्था किसी ख़ास के हाथ में केन्द्रित न हो,

   घ. महिला और पुरुषों को समान काम के लिए समान वेतन मिले।

   ङ. महिला और पुरुष कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बच्चों की सुकुमार अवस्था का दुरूपयोग न हो और गरीबी से विवश होकर नागरिकों को ऐसे काम में न जाना पड़े, जो उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल न हों।

च. बच्चों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएँ दी जाएँ और बच्चों और किशोर (अल्पवय) व्यक्तियों की शोषण से नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाए। (अनुच्छेद 39)

3. राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि कानूनी तंत्र इस प्रकार काम करे कि समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो और कोई गरीबी या किसी अभाव के कारण न्याय के अवसर से वंचित न रह जाए। (अनुच्छेद 39 क)
4. ग्राम पंचायतों का संगठन बनना, ताकि वे स्वायत्त शासन की इकाईओं के रूप में काम करने के योग्य बनें। (अनुच्छेद 40)
5. बेकारी, बुढ़ापा, नि:शक्तता और अन्य अभाव की दशाओं में सरकारी सहायता देना। (अनुच्छेद 41)
6. काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का होना तथा प्रसूति सहायता पाना। (अनुच्छेद 42)
7. खेती, उद्योग या अन्य प्रकार के कर्मकारों को काम, अच्छी-पूरी मजदूरी, अवकाश देने वाली काम के दशाएं बनाने का प्रयास। (अनुच्छेद 43)
8. नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता। (अनुच्छेद 44)
9. छह साल से कम के बच्चों की देखरेख एवं शिक्षा होना। (अनुच्छेद 45)
10. अजा/अजजा और अन्य कमज़ोर तबकों की शिक्षा और आर्थिक हितों की सुरक्षा। (अनुच्छेद 46)
11. पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊँचा करने का राज्य का कर्तव्य – राज्य अपने लोगों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊँचा करने और लोक स्वास्थ्य के सुधार को अपना प्राथमिक कर्तव्य मानेगा। और राज्य, विशिष्टतया, मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकर औषधियों के, औषधीय प्रयोजन से भिन्न, उपभोग का प्रतिषेध करने का प्रयास करेगा। (अनुच्छेद 47)
12. कृषि और पशु पालन संगठन – पशुधन का संरक्षण और पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और जंगल तथा वन्य जीवों की रक्षा। (अनुच्छेद 48)
13. राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। (अनुच्छेद 49)
14. कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग रखना। (अनुच्छेद 50)
15. अंतर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा को बढ़ावा। (अनुच्छेद 51)

गैर बराबरी की बेड़ियां तोड़ कर
नए समाज का कर रहा निर्माण है
राजनीति का ग्रन्थ हमारा संविधान है,

मूल कर्तव्य

(भाग 4 क) अनुच्छेद 51 क – मूल कर्तव्य

भारत का संविधान हमारे कर्तव्यों को परिभाषित करता है कि हममें से हर कोई

(क) संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज, राष्ट्र गान का आदर करें;

(ख) स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोये रखें और उनका पालन करें;

(ग) भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्य रखे;

(घ) देश की रक्षा करे और आह्वान किये जाने पर राष्ट्र की सेवा करे;

(ङ) भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे, जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है;

(च) हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे;

(छ) प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, की रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे;

(ज) वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे;

(झ) सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे;

(ञ) व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नयी उंचाइयां छू ले;

(ट) छह वर्ष की आयु से चौदह वर्ष की आयु के बच्चों के माता–पिता और प्रतिपाल्य के संरक्षक, जैसा मामला हो, उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करे।

शब्द पढ़ सकें, अर्थ बच्चे खुद गढ़ सकें
शिक्षा का अधिकार सबको समान है
जिंदगी की किताब हमारा संविधान है,

VIKAS SAMVAD

विकास संवाद, ई-7/226, प्रथम तल, धनवंतरी काम्प्लेक्स के सामने, अरेरा कालोनी, शाहपुरा, भोपाल. मध्यप्रदेश. भारत
फोन – 0755-4252789 / vikassamvad@gmail.com